उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

0 नं0:– 140/2022 तारीखरजू:– 26/7/22 (1)

उनवान:– हेमेन्द्र बनाम अमरसिंह
दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
	वादी की और से श्री सुरेश शर्मा एडवोकेट ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा आर. टी. एक्ट के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम के जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम के बाहर के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 05.08..2022 को पेश हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	4618-23 26/7/22
5.8.22	पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। प्रतिवादी न०। क्रमांक 6 की ओर से श्री रामभरोसी गुप्ता एड० ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। वास्ते जवाब पेश करने दिनांक 8.8.22 को पेश हो।	
8.8.22	पत्रावली पेश हुई। बार ऐसोसियेशन की ओर से कार्य स्थगित रखा। वास्ते जवाब दिनांक 22.8.22 को पेश हो।	
22.8.22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उप०। प्रतिवादी वकील ने जबाब पेश करने के लिए समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते जबाब पेश करने दिनांक 2.9.22 को पेश हो।	
2.9.22	वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर पधारे है। पत्रावली गतानुसार दिनांक 29.9.22 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:32 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] अधिकारी एवं [illegible] जिला- [illegible]

दिनांक	कार्य विवरण
[illegible]/24	पत्रावली पेश हुई। उपरपक्ष [illegible] वकील [illegible] उपरपक्ष वकील को [illegible] जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ। [illegible] पत्रावली [illegible] की [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] उपस्थित [illegible]।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.05.22 09:22:32 IST
Reason: SelfAttested